Speed post/ तीव्र डाक

भारतसरकार खानमंत्रालय भारतीय खानब्यूरो क्षेत्रीय खाननियंत्रक काकार्यालय माखुपुराओद्योगिक क्षेत्र अजमेर 305002 ई—मेलः ro.ajmer@ibm.gov.in





Violation letter/उल्लंघन पत्र

Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines.
Makhupura Industrial Area, Ajmer- 305002
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax-2695202

संख्या : RAJ/JSL-13/Lst-01/Vol-02

दिनांक : 18/11/2022

प्रेषित: खान एजेंट,

सान्-। चुनापत्थर खान,

मेसॅर्स रॉजस्थान माइन्स एण्ड मिनरल लिमिटेड,

8-वेस्ट पटेल नगर,

पोस्टः जोधपुर, जिलाः जोधपुर

राजस्थान: 342001

ईमेल: sanumines@yahoo.in, jodhpur.rsmml@rajasthan.gov.in, info.rsmml@rajasthan.gov.in,

विषयः राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले में स्थित आपकी सानु-। चुनापत्थर खान, क्षेत्रफल 1000.00 हेक्टेर में खिनज सरंक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के उल्लंघन के संदर्भ में।

महोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 04/10/2022 by undersign in presence of Sri Mahipal Jugtawat, Mine Manager, Sri D.S. Acharya, DGM (Geology) and Sri Mayank Rao, Mining Engineer of your Mine.

Rule	Status and extent of violation		
11(1)	Mining operations have not been carried out in accordance to Modified Mining Plan approved on 05/12/2018 to the extent given below:		
	(1) Mine development for the financial year 2021-22 has not been carried out within		
	approved limit:		
	Block	Approved Limit Coordinates	Coordinate of actual working
	North Zone	N4406-N5100/E6437-E6900	N3920-N4120/E6437-E7200
	South Zone	N127-N690/E6900-E7400	N127-N700/E6500-E7400
	Resulting deviation in proposed location of the development and backfilling proposed for year 2021-22.		

- 02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज सरंक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज सरंक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:
 - (क) आपकी खान कि सारी संक्रियाए बंद की जा सकती है।
 - (ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
 - (ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे कि समाप्ति की सिफारिश जा सकती है।
- 03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप परोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति कि सूचना इस पत्र के जारी होने कि दिनांक से 45 (पैतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करे।

Dinks

(दिलीप जैन)

वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक भारतीय खान ब्युरो, अजमेर

प्रतिलिपि स्चनार्थ प्रेषित:

- 1. खान नियंत्रक (उत्तर) भारतीय खान ब्युरो, उदयपुर। (email द्वारा)
- 2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
- 3. खिन अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, जैसलमेर।
- 4. रक्षित पत्रवली।

वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक भारतीय खान ब्युरो, अजमेर